



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

No. 33]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2005/फाल्गुन 25, 1926

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2005/PHALGUNA 25, 1926

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2005

सं. भा. आ. प.-23(1)/2004-वि./32370.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 20 के साथ पठित, धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियमावली, 2000 में पुनः संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2005 कहा जाएगा।
- (2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियमावली, 2000 (जिसे इस में आगे मूल विनियमावली कहा गया है) में,
 - (i) खण्ड (ग) के पश्चात् "स्टाफ-फैकल्टी" से संबंधित विनियम 11.1 में निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(घ) वह परामर्शदाता और विशेषज्ञ जो किसी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से असंबद्ध ऐसे संस्थानों या अस्पतालों जहां किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के साथ, विनियम 8 के उप-नियम (1 क) के तहत अपेक्षित स्नातकोत्तर अध्यापन किया जा रहा है, में अध्यापन और अन्य सामान्य विभागों में कम से कम 18 वर्ष और 10 वर्ष की अवधि के लिए काम करने का अनुभव रखते हैं, संबंधित विभागों में क्रमशः प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के समतुल्य माने जाने के पात्र होंगे। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उक्त संस्थानों या अस्पतालों के 'सुपर-स्पेशलिटी' विभागों में कार्यरत परामर्शदाता या विशेषज्ञ को समतुल्य मानने के लिए अपेक्षित अनुभव क्रमशः 16 वर्ष और 8 वर्ष होगा। किसी संस्थान या अस्पताल में कार्यरत,

स्नातकोत्तर उपाधि की शैक्षिक योग्यता रखने वाले परामर्शदाता या विशेषज्ञ जिनके पास उक्त अवधि का अनुभव नहीं है, संबंधित विभाग में सहायक प्रोफेसर के समतुल्य माने जाने के पात्र होंगे”

- (ii) किसी स्नातकोत्तर संस्थान के लिए न्यूनतम अपेक्षिताओं से संबंधित विनियम 11.2 में निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(ग) विनियम 8 के उप-विनियम (1 क) के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (मों) को आरम्भ करने का पात्र कोई संस्थान संबंधित महाविद्यालय के बेसिक आयुर्विज्ञान विभागों की सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए, पहले से चल रहे मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से उचित दूरी के अंदर स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के साथ इस बारे में एक विस्तृत समझौता ज्ञापन कर सकता है कि इससे उक्त पाठ्यक्रम (मों) को निर्दिष्ट चलाने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा या यह, परिशिष्ट-III में दर्शाए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार अपने ही संगठन में अपेक्षित सुविधाएं सृजित करेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसा संस्थान, रोग विज्ञान, जीव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान और विकिरण-चिकित्सा-विज्ञान के पूर्ण विकसित विभाग स्थापित करेगा।”

3. परिशिष्ट-II के पश्चात, मूल नियमावली में निम्नलिखित परिशिष्ट अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परिशिष्ट-III

(विनियम 11.2 (ग) देखें)

विनियम 8 के उप-विनियम (1 क) के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (मों) को आरम्भ करने के पात्र उन संस्थानों जिनके लिए बेसिक आयुर्विज्ञानों में विभाग स्थापित करने के लिए अपनी स्वयं की सुविधाएं सृजित करना आवश्यक है, द्वारा पूरे किए जाने वाले मापदंड:

- क) सुविधाएं सृजित करने के उद्देश्य के लिए पहचान किए गए बेसिक विषय निम्नलिखित होंगे:

- i) शरीर रचना विज्ञान
- ii) शरीर विज्ञान
- iii) औषध विज्ञान
- iv) न्याय आयुर्विज्ञान के साथ कम्युनिटी चिकित्सा विज्ञान वैकल्पिक है।

- ख) स्टाफ की आवश्यकताएं

- 1) शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, औषध विज्ञान और कम्युनिटी चिकित्सा विज्ञान के प्रत्येक विभागों में न्यूनतम अपेक्षित स्टाफ निम्नलिखित होगा:

1.	प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर	1
2.	सहायक प्रोफेसर	2

बशर्ते कि कम्युनिटी चिकित्सा विज्ञान में निम्नलिखित भी होंगे:

1. मरक विज्ञान विशेषज्ञ व व्याख्याता
2. सांख्यिकीविद् व व्याख्याता
3. स्वास्थ्य शिक्षक व व्याख्याता

पुनः बशर्ते कि इकाई का प्रभारी व्यक्ति एसोसिएट प्रोफेसर के पद से कम का नहीं होगा।

- 2) अध्यापन कार्मिकों की अपेक्षित संख्या, संस्थान द्वारा आरंभ किए गए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की संख्या के अनुपात में इस प्रकार होगी कि आवश्यकता की अंतिम ऊपरी सीमा, "50 की वार्षिक प्रवेश क्षमता के लिए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के लिए न्यूनतम अपेक्षिताएं" नामक परिषद् के विनियम में दर्शायी गई आवश्यकता के बराबर होगी।

ग) संरचनात्मक आवश्यकताएं:

- 1) व्याख्यान थिएटर और प्रदर्शन कक्षों के संबंध में संरचनात्मक आवश्यकताएं सामूहिक हो सकी हैं।
- 2) अनुसंधान प्रयोगशालाएं सभी सुविधाओं से युक्त होंगी ताकि संबंधित विभागों के अध्यापक निर्वाचित अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य कर सकें।
- 3) शरीर रचना विज्ञान का विभाग: सामान्य सुविधाओं के अतिरिक्त, पर्याप्त आवास के साथ विच्छेदन के लिए स्थान होगा जिसके साथ-साथ शव संलेपन कक्ष, शीत कक्ष और संग्रहालय भी होंगे;

बशर्ते कि उक्त विज्ञान विभाग और अनुसंधान प्रयोगशाला को एक साथ मिलाया जा सकता है।

- 4) शरीर विज्ञान विभाग: एक संग्रहालय के साथ-साथ नैदानिक, प्रयोगात्मक और पशु शरीर विज्ञान प्रयोगशालाएं होंगी।
- 5) औषध विज्ञान विभाग: अनुसंधान प्रयोगशाला जो अलग होगी, को छोड़कर बाकी सुविधाएं सामूहिक हो सकती हैं।
- 6) कम्युनिटी औषध विज्ञान: आवश्यक स्टाफ के साथ सुविधायुक्त ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सहित एक संग्रहालय होगा।"

लेफ्टिनेंट कर्नल. (डा.) ए.आर.एन. सीतलवेद, सचिव

[विज्ञापन-III/IV/100/2004/असाधा.]

पद टिप्पण : मूल नियमावली दिनांक 7 अक्टूबर 2000 को भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में प्रकाशित की गई थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 16 फरवरी, 2001 और 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचनाओं के तहत संशोधित क्रमशः दिनांक 3 मार्च, 2001 और 6 अक्टूबर 2001 को भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में प्रकाशित की गई थी।

**MEDICAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2005

No. MCI-23(1)/2004-Med./32370.—In exercise of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Postgraduate Medical Education Regulations, 2000, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Postgraduate Medical Education Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the principal Regulations), -

(i) in regulation 11.1 relating to 'Staff - Faculty', after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

“(d) Consultants of specialists who have the experience of working for a period of not less than 18 years and 10 years in the teaching and other general departments in the institutions or hospitals, not attached to any medical college, where with the affiliation from any university, postgraduate teaching is being imparted as contemplated under sub-regulation (1A) of regulation 8, shall respectively be eligible to be equated as Professor and Associate Professor in the department concerned. The requisite experience for equating a Consultant or Specialist working in the super-speciality departments of the said institutions or hospitals as Professor and Associate Professor shall respectively be 16 years and 8 years. Consultants or Specialists having postgraduate degree qualification, working in such an institution or hospital, who do not have the said period of experience, shall be eligible to be equated as Assistant Professor in the department concerned.”;

(ii) in regulation 11.2 relating to 'Minimum requirements for a postgraduate institution', after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) An institution eligible to start postgraduate course(s) under sub-regulation (1A) of regulation 8 may enter into a comprehensive Memorandum of Understanding with an ongoing recognized medical college, located within a reasonable distance from it as would not disrupt the smooth running of the said course(s), for the purpose of availing the facilities of the basic medical sciences departments of the college concerned; or it shall create the requisite facilities in its own set-up as per the guidelines indicated in Appendix-III. In addition, such an institution shall set up full-fledged departments of Pathology, Biochemistry, Microbiology and Radiology.”

3. In the principal Regulations, after Appendix-II, the following appendix shall be inserted, namely:-

“Appendix-III

[see regulation 11.2(c)]

Criteria to be fulfilled by institutions eligible to start postgraduate course(s) under sub-regulation (1A) of regulation 8, which are required to create their own facilities for setting up departments in basic medical sciences:

A. The basic subjects identified for the purposes of creation of facilities shall be:

- (i) Anatomy
- (ii) Physiology
- (iii) Pharmacology
- (iv) Community Medicine with Forensic Medicine being optional.

B. Staff requirements:

(1) The minimum staff required in each of the departments of Anatomy, Physiology, Pharmacology and Community Medicine shall be:

- | | | |
|-------------------------------------|-----|------|
| 1. Professor or Associate Professor | ... | One |
| 2. Assistant Professor | ... | Two: |

Provided that the department of Community Medicine shall also have:

- (a) Epidemiologist-cum-Lecturer
- (b) Statistician-cum-Lecturer
- (c) Health Educator-cum-Lecturer:

Provided further that the person in charge of a Unit shall not be below the rank of Associate Professor.

- (2) The required strength of the teaching personnel shall be in proportion to the number of postgraduate courses started by the institution in a manner that the ultimate upper limit of the requirement shall be on a par with the requirement indicated in the Regulation of the Council titled 'Minimum Requirements for Establishment of Medical College for Annual Intake Capacity of 50'.

C. Infrastructural requirements:

- (1) The infrastructural requirements in terms of lecture theatres and demonstration rooms could be common.
- (2) The research laboratories shall be well-equipped so that the teachers in the departments concerned shall be able to work on solicited research projects.
- (3) Department of Anatomy: Apart from the common facilities, there shall be place for dissection with adequate accommodation, along with an embalming room, cold room and also a museum:

Provided that Histology and Research Laboratory may be clubbed together.

- (4) Department of Physiology: There shall be clinical, experimental and animal physiology laboratories along with a museum.
- (5) Department of Pharmacology: The facilities could be common except for research laboratory, which shall be separate.

- (6) Department of Community Medicine: There shall be a museum along with a well-equipped Rural/Urban Health Centre with necessary staff.”.

LT. COL. (DR.) A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT-III/IV/100/2004/Exty.]

Footnote: The principal Regulations were published in Part III Section 4 of the Gazette of India on 7th October, 2000 and amended *vide* MCI notifications dated 16th February, 2001 and 20th September, 2001 published in Part III Section 4 of the Gazette of India on 3rd March, 2001 and 6th October, 2001, respectively.